रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05062025-263626
CG-DL-E-05062025-263626

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 5, 2025/ज्येष्ठ 15, 1947
No. 327]	NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 2025/JYAISTHA 15, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2025

सा.का.नि. 370(अ).— प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013, जिन्हें मूल नियम कहा गया है, का और संशोधन करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित नियमों के प्रारूप को, उक्त धारा की उप धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार, उन सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इन नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, इस प्रकाशित अधिसूचना को जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों के पश्चात विचार किया जाएगा।

इन पर यदि कोई आपत्तियां तथा सुझाव हों तो, अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाणिज्य भवन, नई दिल्ली- 110011 को या ई-मेल ipr7-dipp@gov.in पर भेजे जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के बारे में, यथाविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन नियमों को प्रारूप प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2025 कहा जाएगा।

2. प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 में, नियम 83 के बाद अध्याय XVIII में निम्नलिखित अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

"83(क) लाइसेंस शुल्क का ऑनलाइन भुगतान - इन नियमों के तहत किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी भी बात के बावजूद, साहित्यिक कार्य, संगीत संबंधी कार्य और ध्वनि रिकॉर्डिंग का मालिक या लाइसेंसकर्ता ऐसे कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा देय लाइसेंस शुल्क के संग्रह के लिए एक ऑनलाइन भुगतान तंत्र स्थापित करेगा और बनाए रखेगा।

ऐसे लाइसेंस शुल्क के सभी भुगतानों पर विशेष रूप से उक्त ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ही कार्यवाही की जाएगी और भुगतान की किसी वैकल्पिक पद्धति की अनुमति नहीं दी जाएगी या स्वीकार नहीं की जाएगी।"

[फा. सं.- पी-24027/1/2025-सीपैम]

हिमानी पाण्डे, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2025

G.S.R. 370(E).—The following draft rules to further amend the Copyright Rules, 2013, referred as principal rules, which the Central Government proposes to do in exercise of the powers conferred by Section 78 of the Copyright Act, 1957, is hereby published as required by Sub-Section (3) of the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Vanijya Bhawan, New Delhi-110011 or by e-mail at ipr7-dipp@gov.in;

The objections and suggestions, which is received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.

(1) These rules may be called the draft Copyright (Amendment) Rules, 2025.

2. In the Copyright Rules, 2013, the following shall be inserted in Chapter XVIII, after Rule 83, namely, —

"83(A). Manner of Payment of Licence Fee — Notwithstanding anything contained in any other provision under these Rules, the owner or licensor of a literary work, musical work, and sound recording shall establish and maintain an online payment mechanism for the collection of license fee payable by a licensee for communication to the public of such work.

All payments of such license fee shall be processed exclusively through said online system, and no alternative method of payment shall be permitted or accepted for this purpose."

[F. No. P-24027/1/2025-CIPAM]

HIMANI PANDE, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA